कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2019

सा.का.नि.31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (मोटर परिवहन पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या करने से लोप किया गया हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में मोटर परिवहन पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, मोटर परिवहन पर्यवेक्षक, समूह-ख, अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—**पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोटर परिवहन पर्यवेक्षक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 6 (35400 -112400 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या आमेलन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<u>**प्रतिनियुक्ति / आमेलन**</u> केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है; और (ख) (i) जिनके पास केन्द्रीय सरकार के अधीन यानों के उपयोग, देखभाल, अभिरक्षा, मरम्मत और रखरखाव कर्तव्य वाले पदों पर मोटर परिवहन कार्य का सात वर्ष का अनुभव है; और (ii) जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है। **वांछनीय** :- किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक का प्रमाण-पत्र। **टिप्पण-1 :** प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 39021/05/2017-स्था. (बी)]

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 16th January, 2019

G.S.R.31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Union Public Service Commission (Motor Transport Supervisor) Recruitment Rules, 1995 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Motor Transport Supervisor in the Office of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Motor Transport Supervisor, Group 'B' , Non-Gazetted Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with the Union Public Service Commission, any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Motor Transport Supervisor.	01* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' non-Gazetted, non-Ministerial	Level 6 (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation or Absorption

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation or Absorption:- Officers under the Central Government :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) (i) having seven years experience in motor transport work, in posts involving duties relating to use, care, custody, repair and maintenance of vehicles under the Central Government; and (ii) having a valid driving licence for motor cars; Desirable:- Motor Mechanic Certificate from an Industrial Training Institute. **Note-1:** Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note-2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. 39021/05/2017-Estt. (B)]

PRAMOD KUMAR JAISWAL Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

सा.का.नि.32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, संयुक्त निदेशक (व्यवहारिक प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त निदेशक (व्यवहारिक प्रशिक्षण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान संयुक्त निदेशक (व्यवहारिक प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।